

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3097  
दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाई

3097. सुश्री मिमी चक्रवर्ती:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश के सभी ब्लॉकों में मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयां (ए.एच.टी.यू.) और महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यू.एच.डी.) को स्थापित करने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव और वित्त-पोषण का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या मंत्रालय ने इस प्रयोजनार्थ विशेष कार्यबल गठित करने के लिए गृह मंत्रालय से सहायता मांगी है और इस पर क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सशक्त समिति (ईसी) ने 100 करोड़ रुपये प्रत्येक की लागत से, जिलों में मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयां (ए.एच.टी.यू.) और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस थाने स्थापित करने और सशक्त बनाने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव का अनुमोदन और संस्तुति की है, जिसका वित्त पोषण निर्भया फंड से किया जाना है ।

\*\*\*\*\*